भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 328
दिनांक 22 जुलाई, 2025 / 31 आषाढ़, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

मादक पदार्थों की जब्ती

+328. श्री एडवोकेट अदूर प्रकाश:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पाँच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान मादक पदार्थों की जब्ती का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में दर्ज मामलों की संख्या क्या है;

(ख) विगत पाँच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों से जुड़ी भारी मात्रा में मादक पदार्थों की जब्ती के मामलों में जाँच, निष्कर्ष और की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में युवाओं में मादक पदार्थों की लत चिंताजनक रुप से बढ़ रही है; और

(घ) क्या सरकार इस बढ़ती हुई समस्या को नियंत्रित करने के लिए और अधिक सक्रिय उपायों पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रकाशित वर्ष 2022 से संबंधित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार; वर्ष 2018 से 2022 के दौरान स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत की गई जब्तियों और दर्ज किए गए मामलों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्योरा क्रमशः अनुलग्नक-I और II में दिया गया है।

लोक सभा अता.प्र.सं. 328, दिनांक 22.07.2025

(ख): भारी मात्रा में मादक पदार्थों की जब्ती जिसमें अंतर्राष्ट्रीय रैकेट भी संलिप्त हों, के संबंध में पूछताछ, निष्कर्ष और कार्रवाई संबंधित मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की जाती है। वर्ष 2020 से 2025 (मई तक) की अवधि के दौरान, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने 116 बड़े मामले दर्ज किए हैं जिनमें 109318 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। एनसीबी ने निरंतर आपूर्तिकर्ताओं, प्राप्तकर्ताओं और वाहकों को गिरफ्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके अलावा, मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के वित्तीय ढांचे को खत्म करने के उद्देश्य से सभी प्रमुख मामलों में वित्तीय जांच की जाती है। बार-बार अपराध करने वालों के मामले में, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम (पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम), 1988 में अवैध तस्करी की रोकथाम के प्रावधान के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

(ग): देश में मादक पदार्थों के सेवन की समस्या की व्यापकता का आकलन करने और इसका पता लगाने के लिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) द्वारा राष्ट्रीय औषधि निर्भरता उपचार केंद्र (एनडीडीटीसी), एम्स, नई दिल्ली के माध्यम से 'भारत में मादक पदार्थों के सेवन की व्यापकता' विषय पर एक व्यापक एवं राष्ट्रीय स्तर का सर्वेक्षण किया गया था, जिसे वर्ष 2019 में प्रकाशित किया गया था। सर्वेक्षण के अनुसार, वर्तमान में विभिन्न मनःप्रभावी पदार्थों का उपयोग करने वाले वयस्कों और बच्चों की व्यापकता (% में) और अनुमानित संख्या निम्नानुसार है:

मादक पदार्थ	बच्चे और किशोर (10-17 वर्ष)		वयस्क (18-75 वर्ष)	
	व्यापकता (% में)	उपयोगकर्ताओं की अनुमानित संख्या	व्यापकता (% में)	उपयोगकर्ताओं की अनुमानित संख्या
गांजा	0.90	20,00,000	3.30	2,90,00,000
ओपिओइड	1.80	40,00,000	2.10	1,90,00,000
सेडेटिव	0.58	20,00,000	1.21	1,10,00,000
कोकीन	0.06	2,00,000	0.11	10,00,000
एटीएस	0.18	4,00,000	0.18	20,00,000
मतिभ्रमकारी दवाएं	0.07	2,00,000	0.13	20,00,000

स्रोत: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा अता.प्र.सं. 328, दिनांक 22.07.2025

(घ): भारत को नशा मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अपने अभियान के तहत सरकार विभिन्न उपाय कर रही है, जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं: -

(i) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985, स्वापक औषधियों, मन:प्रभावी पदार्थों और नियंत्रित पदार्थों की अवैध तस्करी से निपटने के लिए कड़े उपायों और दंड का प्रावधान करता है। सरकार ने 134 स्वापक औषधियों (धारा 2(xi)(ख) के अंतर्गत), 173 मन:प्रभावी पदार्थों (धारा 3 के अंतर्गत), और 45 नियंत्रित पदार्थों (धारा 9क के अंतर्गत) को जनहित में उनके उपयोग को विनियमित या प्रतिबंधित करने हेतु सूचीबद्ध किया है, साथ ही वैध चिकित्सा एवं वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की है।

(ii) एक चार-स्तरीय नार्को-समन्वय केंद्र (एनसीओआरडी) तंत्र का गठन किया गया है, जो केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय की सुविधा प्रदान करता है।

(iii) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) की स्थापना की गई है, जो स्थानीय स्तर पर प्रवर्तन के लिए एनसीओआरडी सचिवालय के रूप में भी कार्य करती है।

(iv) मादक पदार्थों की बड़ी जब्ती की जांच की निगरानी करने के लिए महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की अध्यक्षता में एक संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) का गठन किया गया है।

(v) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत सीमा सुरक्षा बलों और रेलवे सुरक्षा बल को सीमाओं पर और रेल मार्गों पर प्रवर्तन के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(vi) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) नौसेना, तटरक्षक बल, सीमा सुरक्षा बल और राज्य एएनटीएफ आदि जैसी अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर समन्वय करता है, ताकि संयुक्त मादक पदार्थ-रोधी अभियान चलाए जा सकें।

(vii) बंदरगाहों पर मादक पदार्थों का पता लगाने के लिए कंसाइनमेंट की इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग की जा रही है।

(viii) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए) के अधिकारियों को निरंतर प्रशिक्षण प्रदान करता है।

(ix) जाँच और सक्रिय पुलिस व्यवस्था में सहायता करने के लिए गिरफ्तार नार्को-अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (निदान) पोर्टल शुरू किया गया है।

(x) मादक-पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र (मानस) - कॉल, एसएमएस, चैटबॉट, ईमेल या वेब के माध्यम से मादक पदार्थों से संबंधित मामलों की सूचना देने के लिए एक 24x7 टोल-फ्री हेल्पलाइन (1933) स्थापित की गई है।

(xi) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) मादक पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी को रोकने के लिए सक्रिय सूचनाओं के आदान-प्रदान और जांच में सहयोग हेतु म्यांमार, ईरान, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों तथा अन्य देशों के साथ उच्च-स्तरीय वार्ता करता है।

(xii) देश के सभी जिलों में 10,000 से अधिक मास्टर स्वयंसेवकों के माध्यम से नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) शुरू किया गया। इस अभियान से 5.51 करोड़ से अधिक युवाओं और 3.43 करोड़ महिलाओं सहित 16.49 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं।

(xiii) सरकार देश भर में 352 एकीकृत व्यसन पुनर्वास केंद्रों (आईआरसीए), 46 समुदाय आधारित पीयर लेड इंटरवेंशन (सीपीएलआई) केंद्रों, 75 आउटरीच और ड्रॉप इन केंद्रों (ओडीआईसी), 148 व्यसन उपचार सुविधा केंद्रों (एटीएफ) और 138 जिला नशा मुक्ति केंद्रों (डीडीएसी) को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

(xiv) नशा मुक्ति के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14446 संचालित किया जा रहा है, जो मदद चाहने वाले व्यक्तियों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल सहायता प्रदान करता है।

(xv) सरकार अपने स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान (एनआईएसडी) और अन्य सहयोगी एजेंसियों जैसे कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी), केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) आदि के माध्यम से छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों सहित सभी हितधारकों के लिए नियमित जागरूकता सृजन और संवेदीकरण सत्र आयोजित करती है।

(xvi) नशा मुक्त भारत अभियान की सहायता करने और जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने के लिए आध्यात्मिक संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

****

लोक सभा अता.प्र.सं. 328 दिनांक 22.07.2025

अनुलग्नक-I

वर्ष 2018 के दौरान देश में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत जब्त किए गए मादक पदार्थों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्योरा

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**जब्त किए गए कुल मादक पदार्थ**		
		किग्रा.	**संख्या**	**लीटर**
1	आंध्र प्रदेश	33930.522	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	1869.208	874	0
3	असम	15485.596	163525	54346.200
4	बिहार	32442.970	20516	2053.460
5	छत्तीसगढ़	36785.864	127277	3457.720
6	गोवा	79.469	0	0
7	गुजरात	12780.186	27126	0
8	हरियाणा	16233.507	727425	1257.723
9	हिमाचल प्रदेश	1072.006	160609	496.100
10	झारखंड	3463.958	1835	98.105
11	कर्नाटक	7489.246	2871	6.000
12	केरल	1378.325	21075	0.012
13	मध्य प्रदेश	3118721.420	629315	570.800
14	महाराष्ट्र	19764.338	143022	908.800
15	मणिपुर$	40275.660	347309	6.544
16	मेघालय	1417.747	69592	0
17	मिजोरम	250.791	100	0
18	नागालैंड	2819.686	47125	300.000
19	ओडिशा	50759.897	1628	726.000
20	पंजाब	50045.181	6397919	368.401
21	राजस्थान	111430.200	1215771	201.860
22	सिक्किम$	0.015	1040	5.000
23	तमिलनाडु	12115.702	149032	0
24	तेलंगाना	6054.095	0	0
25	त्रिपुरा	62674.611	643755	23017.800
26	उत्तर प्रदेश	221760.042	306740	7172146.160
27	उत्तराखंड	1609.563	117215	0.000
28	पश्चिम बंगाल	31079.905	15241	15692.604
	कुल राज्य	**3893789.710**	**11337937**	**7275659.289**
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	67.963	0	0
30	चंडीगढ़	51.709	5216	5.400
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव+	24.769	0	0
32	दिल्ली	6145.663	738256	1120.000
33	जम्मू और कश्मीर*	19353.677	87713	7997.220
34	लद्दाख	-	-	-
35	लक्षद्वीप	0.650	0	0
36	पुडुचेरी	13.541	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**25657.972**	**831185**	**9122.620**
	कुल (अखिल भारतीय)	**3919447.682**	**12169122**	**7284781.909**

स्रोत: क्राइम इन इंडिया, एनसीआरबी
नोट: '+' वर्ष 2018 के लिए पूर्ववर्ती दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त आंकड़े
* वर्ष 2018 के लिए लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के आंकड़े
$ सिक्किम और मणिपुर द्वारा वर्ष 2018 के संशोधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इसलिए, तुलनात्मक रूप से, इन राज्यों में वर्ष 2018 के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थों की जब्ती के पुराने प्रकाशित आंकड़ों में अंतर हो सकता है।

लोक सभा अता. प्र.सं. 328 दिनांक 22.07.2025
अनुलग्नक-I (जारी)

वर्ष 2019 के दौरान देश में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत जब्त किए गए मादक पदार्थों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्योरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जब्त किए गए कुल मादक पदार्थ		
		किग्रा.	संख्या	लीटर
1	आंध्र प्रदेश	66669.529	160	0
2	अरुणाचल प्रदेश	1993.750	0	0
3	असम	17352.544	1604127	7377.658
4	बिहार	5124.761	4910	675.260
5	छत्तीसगढ़	19953.225	86079	1308.500
6	गोवा	85.215	2	0
7	गुजरात	14923.489	4200	0
8	हरियाणा	16806.228	892131	36479.200
9	हिमाचल प्रदेश	1763.853	200386	970.000
10	झारखंड	4073.335	3834	455.816
11	कर्नाटक	7800.718	1705	5
12	केरल	2548.475	5661	0
13	मध्य प्रदेश	60864.128	40839	4260.010
14	महाराष्ट्र	20622.717	3220	4191.712
15	मणिपुर $	46142.187	393309	48.324
16	मेघालय	1281.983	36	79.000
17	मिजोरम	991.189	0	0
18	नागालैंड	1732.271	260849	1.134
19	ओडिशा	61993.835	0	1112.200
20	पंजाब	44239.070	10214701	1526.716
21	राजस्थान	310732.428	1510447	206.200
22	सिक्किम	16.798	0	0
23	तमिलनाडु	28757.502	420	0
24	तेलंगाना	13278.093	264	0
25	त्रिपुरा	15858.949	2156754	858528.820
26	उत्तर प्रदेश	272197.319	1355373	10791849.820
27	उत्तराखंड	2073.105	52149	94.000
28	पश्चिम बंगाल	36834.860	400747	21316.335
	कुल राज्य	**1076711.556**	**19192303**	**11730485.705**
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	121.999	11761	78.200
30	चंडीगढ़	398.727	15098	2.400
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव+	0	0	0
32	दिल्ली	7895.937	1465832	3000.000
33	जम्मू और कश्मीर*	26517.388	164428	2133.300
34	लद्दाख			
35	लक्षद्वीप	0.466	0	0
36	पुडुचेरी	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**34934.517**	**1657119**	**5213.900**
	कुल (अखिल भारतीय)	**1111646.073**	**20849422**	**11735699.605**

स्रोत: क्राइम इन इंडिया, एनसीआरबी
नोट: '+' वर्ष 2019 के लिए पूर्ववर्ती दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त आंकड़े
* वर्ष 2019 के लिए लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के आंकड़े
$ मणिपुर द्वारा वर्ष 2019 के संशोधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इसलिए, तुलनात्मक रूप से, राज्य में वर्ष 2019 के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थों की जब्ती के पुराने प्रकाशित आंकड़ों में अंतर हो सकता है।

लोक सभा अता. प्र.सं. 328 दिनांक 22.07.2025
अनुलग्नक-I (जारी)

वर्ष 2020 के दौरान देश में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत जब्त किए गए मादक पदार्थों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्योरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जब्त किए गए कुल मादक पदार्थ		
		किग्रा.	संख्या	लीटर
1	आंध्र प्रदेश	106042.775	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	4032.540	0	0
3	असम	9256.162	1138466	8554.800
4	बिहार	13162.231	333	5933.700
5	छत्तीसगढ़	29743.484	96445	988.310
6	गोवा	149.542	0	0
7	गुजरात	13213.214	33030	894.325
8	हरियाणा	24695.602	1666911	2197.800
9	हिमाचल प्रदेश	3899.779	3210547	14.000
10	झारखंड	8830.645	4882	345.230
11	कर्नाटक	21729.793	12246	1.610
12	केरल	3060.459	1444	2.100
13	मध्य प्रदेश	58084.552	279760	13611.300
14	महाराष्ट्र	28832.304	66027	519.100
15	मणिपुर $	1355.763	1117388	5908.020
16	मेघालय	989.816	4234	2.000
17	मिजोरम	617.735	470	13.280
18	नागालैंड	791.676	179373	76.600
19	ओडिशा	81847.001	0	0
20	पंजाब	37364.676	44649858	4517.190
21	राजस्थान	148602.246	3285638	64.820
22	सिक्किम $	0.585	19	0
23	तमिलनाडु	298785.294	5554	0
24	तेलंगाना	19708.291	509	150.000
25	त्रिपुरा	14007.145	539241	10436.620
26	उत्तर प्रदेश	327420.562	1401062	965896.170
27	उत्तराखंड	1848.326	450215	24.000
28	पश्चिम बंगाल	25509.802	363396	40627.132
	कुल राज्य	**1283582.000**	**58507048**	**1060778.107**
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	159.235	921	0
30	चंडीगढ़	95.953	5501	5.780
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	7.360	0	0
32	दिल्ली	5483.247	123220	2558.000
33	जम्मू और कश्मीर	27361.353	618361	40890.110
34	लद्दाख	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0.936	0	0
36	पुडुचेरी	77.155	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**33185.239**	**748003**	**43453.890**
	कुल (अखिल भारतीय)	**1316767.239**	**59255051**	**1104231.997**

स्रोत: क्राइम इन इंडिया, एनसीआरबी
$ सिक्किम और मणिपुर द्वारा वर्ष 2020 के संशोधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इसलिए, तुलनात्मक रूप से, इन राज्यों के लिए वर्ष 2020 के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थों की जब्ती के पुराने प्रकाशित आंकड़ों में अंतर हो सकता है।

लोक सभा अता. प्र.सं. 328 दिनांक 22.07.2025
अनुलग्नक-I (जारी)

वर्ष 2021 के दौरान देश में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत जब्त किए गए मादक पदार्थों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्योरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जब्त किए गए कुल मादक पदार्थ		
		किग्रा.	संख्या	लीटर
1	आंध्र प्रदेश	191712.574	58	0
2	अरुणाचल प्रदेश	3528.944	0	0
3	असम	17156.703	4305100	496987.615
4	बिहार	35454.469	60769	4825.330
5	छत्तीसगढ़	27884.969	359714	487.930
6	गोवा	136.711	0	0
7	गुजरात	21307.037	8622	92.300
8	हरियाणा	21313.606	1037457	695.100
9	हिमाचल प्रदेश	4455.151	5668585	82.000
10	झारखंड	20799.734	2320	951.400
11	कर्नाटक	8479.963	14206	6.260
12	केरल	4030.893	905	0
13	मध्य प्रदेश	68088.000	44955	6900.600
14	महाराष्ट्र	27986.007	190	46.540
15	मणिपुर $	40008.303	1192913	2108.409
16	मेघालय	986.887	19342	28.860
17	मिजोरम	215.006	35	2.700
18	नागालैंड	2187.668	149557	92.900
19	ओडिशा	169435.890	790	0
20	पंजाब	38783.170	17772675	4800.729
21	राजस्थान	142834.881	13445789	39.300
22	सिक्किम	0.738	58541	1204.092
23	तमिलनाडु	20354.706	10098	0
24	तेलंगाना	39360.772	220	28.670
25	त्रिपुरा	39797.368	212801	24975.560
26	उत्तर प्रदेश	126657.395	3265073	267909.500
27	उत्तराखंड	2019.459	147672	0
28	पश्चिम बंगाल	29414.012	401778	79273.112
	कुल राज्य	**1104391.016**	**48180165**	**891538.907**
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	62.384	0	0
30	चंडीगढ़	181.107	18290	18.200
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	14.570	0	0
32	दिल्ली	9921.298	42278	0
33	जम्मू और कश्मीर	22082.414	171954	4069.230
34	लद्दाख	403.078	0	0
35	लक्षद्वीप	2.159	0	0
36	पुडुचेरी	87.676	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**32754.686**	**232522**	**4087.430**
	कुल (अखिल भारतीय)	**1137145.702**	**48412687**	**895626.337**

स्रोत: क्राइम इन इंडिया, एनसीआरबी

$ मणिपुर द्वारा वर्ष 2021 के लिए संशोधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इसलिए, तुलनात्मक रूप से, वर्ष 2021 के लिए राज्यों के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थों की जब्ती के पुराने प्रकाशित आंकड़ों में अंतर हो सकता है।

लोक सभा अता. प्र.सं. 328 दिनांक 22.07.2025
अनुलग्नक-I (जारी)

वर्ष 2022 के दौरान देश में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत जब्त किए गए मादक पदार्थों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्योरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जब्त किए गए कुल मादक पदार्थ		
		किग्रा.	संख्या	लीटर
1	आंध्र प्रदेश	169223.567	11803	0
2	अरुणाचल प्रदेश	3533.650	0	0
3	असम	49515.645	5281488	4397079.600
4	बिहार	31985.903	47437	18237.900
5	छत्तीसगढ़	25427.599	519809	44403.200
6	गोवा	206.840	0	0
7	गुजरात	29230.550	185	1242.680
8	हरियाणा	24949.364	878887	980.450
9	हिमाचल प्रदेश	943.433	94208	225.500
10	झारखंड	37322.623	4601	257.950
11	कर्नाटक	10577.238	2820	34.000
12	केरल	5639.273	2808	0.043
13	मध्य प्रदेश	70722.635	35655	6702.520
14	महाराष्ट्र	20185.509	22672	5240.308
15	मणिपुर	18454.016	834967	3461.830
16	मेघालय	3993.255	19325	28.900
17	मिजोरम	388.530	0	63.800
18	नागालैंड	7791.296	169433	251.560
19	ओडिशा	144181.034	0	0
20	पंजाब	49421.858	6246151	5017.200
21	राजस्थान	155161.550	684188	15.800
22	सिक्किम	24.083	24629	9.803
23	तमिलनाडु	27509.701	76540	58.645
24	तेलंगाना	31771.630	512	100.370
25	त्रिपुरा	61795.360	155423	12294.500
26	उत्तर प्रदेश	1051997.001	933689	76593.980
27	उत्तराखंड	1492.520	155201	307.000
28	पश्चिम बंगाल	23897.767	631624	67182.860
	कुल राज्य	**2057343.430**	**16834055**	**4639790.399**
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	60.679	325	2.600
30	चंडीगढ़	360.005	2627	0
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	11.154	0	0
32	दिल्ली	5512.448	353168	0
33	जम्मू और कश्मीर	17192.409	300776	956.100
34	लद्दाख	0.735	0	0
35	लक्षद्वीप	4.228	0	0
36	पुडुचेरी	90.448	20	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**23232.106**	**656916**	**958.700**
	कुल (अखिल भारतीय)	**2080575.536**	**17490971**	**4640749.099**

स्रोत: क्राइम इन इंडिया, एनसीआरबी

लोक सभा अता. प्र.सं. 328 दिनांक 22.07.2025
अनुलग्नक-II

वर्ष 2018 से 2022 ** के दौरान स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत व्यक्तिगत उपयोग/उपभोग के लिए मादक पदार्थ रखने और तस्करी के लिए मादक पदार्थ रखने के लिए दर्ज किए गए मामलों की राज्यवार और वर्ष-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018	2019	2020	2021	2022
1	आंध्र प्रदेश	534	717	866	1635	1391
2	अरुणाचल प्रदेश	122	124	132	264	306
3	असम	478	841	983	2291	2902
4	बिहार	615	697	964	1469	1823
5	छत्तीसगढ़	712	707	875	1123	1155
6	गोवा	222	218	147	121	153
7	गुजरात	150	289	308	461	508
8	हरियाणा	2587	2677	3060	2741	3815
9	हिमाचल प्रदेश	1342	1439	1538	1537	1516
10	झारखंड	237	242	415	609	464
11	कर्नाटक	1030	1652	4054	5787	6399
12	केरल	8724	9245	4968	5695	26619
13	मध्य प्रदेश	1874	3432	3155	4068	4811
14	महाराष्ट्र	12195	14158	4714	10087	13830
15	मणिपुर	381	338	304	354	518
16	मेघालय	81	117	76	69	116
17	मिजोरम	164	160	97	122	245
18	नागालैंड	66	142	115	154	242
19	ओडिशा	573	980	1179	1642	1891
20	पंजाब	11654	11536	6909	9972	12442
21	राजस्थान	1862	2592	2743	2989	3821
22	सिक्किम	7	20	19	52	41
23	तमिलनाडु	3717	4329	5403	6852	10385
24	तेलंगाना	311	464	509	1346	1279
25	त्रिपुरा	431	316	307	357	562
26	उत्तर प्रदेश	8821	10198	10852	10432	11541
27	उत्तराखंड	1064	1396	1282	1762	1440
28	पश्चिम बंगाल	1479	1421	1626	1890	1608
	कुल राज्य	**61433**	**70447**	**57600**	**75881**	**111823**
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	49	133	55	28	52
30	चंडीगढ़	178	226	134	89	182
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव+	3	0	5	6	11
32	दिल्ली	507	712	748	566	1179
33	जम्मू और कश्मीर*	938	1173	1222	1681	1837
34	लद्दाख	0	0	2	5	8
35	लक्षद्वीप	8	4	4	3	3
36	पुडुचेरी	21	26	36	72	141
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**1704**	**2274**	**2206**	**2450**	**3413**
	कुल (अखिल भारतीय)	**63137**	**72721**	**59806**	**78331**	**115236**

स्रोत: क्राइम इन इंडिया एनसीआरबी
नोट: '+' वर्ष 2018 और 2019 के दौरान पूर्ववर्ती अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त आंकड़े
'*' वर्ष 2018 और 2019 के दौरान लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के आंकड़े
** प्रकाशित आंकड़े 2022 तक उपलब्ध